फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 18.10.2024

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 151/2024 धारा-115(2)/352/351(2)/191(2)/191(3)/190/105 बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री जय सिंह** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2024 धारा-115(2)/352/351(2)/191(2)/191(3)/190/105 बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त अरविन्द पुत्र रामस्नेही निवासी ग्राम चमन नगरिया थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अरविन्द पुत्र रामस्नेही निवासी ग्राम चमन नगरिया थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वादी श्री रामसेवक पुत्र खेमकरन निवासी ग्राम चमन नगरिया थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 04.10.2024 को मु0अ0सं0 151/2024 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम कैलाश पुत्र मनोहर निवासी नामालूम के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। वादी मुकदमा के पुत्र छबिराम के चोटे आई थी। छबिराम की ईलाज के दौरान दि0 12.10.2024 को हरिटैज अस्पताल आगरा में मृत्यु हो गयी थी। दिनांक 13.10.2024 को वादी रामसेवक के द्वारा अपने पुत्र छबिराम की मृत्यु होने के उपरान्त थाना स्थानीय पर एक लिखित तहरीर दी गयी थी जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 191(2)/191(3)/190/105 बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण 1. अरविन्द पुत्र रामस्नेही 2. रीना पत्नी छबिराम 3. मुनीश 4. धारासिंह 5. अनार सिंह पुत्रगण दिवारीलाल 6. लाल सिंह 7. ज्ञान सिंह 8.नरपाल पुत्रगण जमादार निवासीगण ग्राम चमन नगरिया थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ 9. मोतीलाल निवासी सलावत नगर थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासमगंज 10. मेवाराम पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम अटेना चौकी कटरा थाना उसैहत जनपद बदायूँ का नाम तहरीर के आधार पर प्रकाश में आया है। आज दिनांक 18.10.2024 को अभियुक्त अरविन्द पुत्र रामस्नेही को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण अरविन्द उपरोक्त ने बताया कि साहब मैं छविराम उर्फ करू को जान से नहीं मारना चाहता था लेकिन करू उर्फ छविराम गलती से ज्यादा चोट लग गयी जिससे छविराम उर्फ करू की मृत्यु हो गयी। मुझसे गलती हो गई माफ कर दीजिये। शेष सफाई मैं अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा।

अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 151/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/191(2)/191(3)/190/105 बीएनएस थाना कम्पिल

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री कपिल कुमार
2. का0 हन्नी कुमार।

मीडिया सेल फतेहगढ़

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक :- 18.10.2024

थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 237/2024 धारा- 85/80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे वाछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद **श्री अरुण कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-237/2024 धारा- 85/80(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1.शिवा पुत्र नरेश राठौर निवासी ग्राम नयागनीपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक -15.10.2024 को आवेदक श्री लालाराम पुत्र स्व0 कड़्ढी ग्राम सरसई थाना पाली जनपद हरदोई ने थाना नवाबगंज पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री सुदामा देवी के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग करना व दहेज के लिए प्रताडित करना जिससे वादी की पुत्री सुदामा देवी की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0- 237/2024 धारा- 85/80(2) बी0एन0एस0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1. शिवा पुत्र नरेश राठौर 2. नरेश राठौर s/o नामालूम 3.सास (नरेश राठौर की पत्नी) नाम नामालूम समस्त निवासीगण ग्राम नया गनीपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम मे दिनाक 18.10.2024 को अभियोग मे वांछित अभियुक्त शिवा उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त शिवा पुत्र नरेश राठौर निवासी नया गनीपुर थाना नवाबगंज ने बताया कि मेरी शादी सुदामा देवी पुत्री लालाराम निवासी ग्राम सरसई थाना पाली जनपद हरदोई के साथ दिनांक 26.04.2024 को हुयी थी। दिनांक 14.10.2024 की रात्रि मे हम लोग खाना खाकर एक साथ बेड पर सोये थे। मै खेत मे काम करके आया तथा थका होने के कारण मै सो गया था। रात्रि मे 02.00 बजे के आस पास मै बाथरूम के लिये जगा तो मेरी पत्नी सुदामा देवी कमरे की छत पर लगे कुंदा मे साडी का फांसी का फंदा लगाकर लटक रही थी, मै डर गया और मैने तुरन्त मम्मी पापा एवं भाईयो को जगाया और बताया कि सुदाम ने फांसी लगा ली है। तब मेरे घर बाले और हम लोगो ने सुदामा को फंदा से उतारा तथा घर वाले सुदामा को इलाज के लिये ले गये तो डाक्टरो ने मृत घोषित कर दिया था। घटना के सम्बन्ध मे मैने अपने साले रामू को फोन किया गया था।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 237/2024 धारा -85/80(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस:

1. उप0नि0 श्री गिरिश कुमार
2. का-अरविन्द कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।